भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1782

दिनांक 05 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

नवीकरणीय उर्जा की खरीद

1782. श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकरः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विद्युत वितरण कंपनियों के लिए अपनी विद्युत मांग के अनुसार अन्य नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद करना अनिवार्य कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने प्रशुल्क नीति, 2006 में कोई संशोधन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने राज्य विद्युत बोर्डों की वितरण कंपनियों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद सुनिश्चित करने के लिए कोई विनियामक तंत्र तैयार किया है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत दिनांक 20.10.2023 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट उपभोक्ताओं के लिए गैर-जीवाश्म ऊर्जा खपत का न्यूनतम हिस्सा अनिवार्य कर दिया है। वितरण लाइसेंसधारियों और अन्य सभी निर्दिष्ट उपभोक्ताओं, जो वितरण लाइसेंसधारी के अलावा अन्य स्रोतों से विद्युत की खपत की सीमा तक ओपन एक्सेस उपभोक्ता या कैप्टिव उपयोगकर्ता हैं, को वर्ष 2024-25 से 2029-30 के दौरान विद्युत ऊर्जा खपत के अपने कुल हिस्से के प्रतिशत के रूप में विभिन्न प्रकार के गैर-जीवाश्म स्रोतों से ऊर्जा खपत का न्यूनतम प्रतिशत उपयोग करने के लिए निम्नलिखित विवरण अनुसार अनिवार्य किया गया है:

क्रम. सं.	वर्ष	पवन नवीकरणीय ऊर्जा	जल विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा	वितरित नवीकरणीय ऊर्जा*	अन्य नवीकरणीय ऊर्जा	कुल नवीकरणीय ऊर्जा
1.	2024-25	0.67%	0.38%	1.50%	27.35%	**29.91%**
2.	2025-26	1.45%	1.22%	2.10%	28.24%	**33.01%**
3.	2026-27	1.97%	1.34%	2.70%	29.94%	**35.95%**
4.	2027-28	2.45%	1.42%	3.30%	31.64%	**38.81%**
5.	2028-29	2.95%	1.42%	3.90%	33.10%	**41.36%**
6.	2029-30	3.48%	1.33%	4.50%	34.02%	**43.33%**

**पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए वितरित नवीकरणीय ऊर्जा घटक तालिका में दिए गए घटक का आधा होगा और इन राज्यों के लिए शेष घटक अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में शामिल किया जाएगा।*

(ख) और (ग) : विद्युत मंत्रालय ने 31 मार्च 2008 को टैरिफ नीति, 2006 में संशोधन किया है ताकि इसे जल विद्युत नीति, 2008 के साथ संरेखित किया जा सके। इसके अलावा, कुल खपत में सौर ऊर्जा का न्यूनतम प्रतिशत निर्धारित करने और जल विद्युत परियोजनाओं और कुछ पारेषण परियोजनाओं को क्रमशः टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली से छूट देने के लिए टैरिफ नीति, 2006 में 20 जनवरी 2011 और 8 जुलाई 2011 को संशोधन जारी किए गए हैं।

तदुपरान्त, 28 जनवरी 2016 को संशोधित राष्ट्रीय टैरिफ नीति जारी की गई, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के परामर्श से विद्युत मंत्रालय द्वारा नवीकरणीय क्रय दायित्वों (आरपीओ) के लिए दीर्घकालिक विकास ट्रजेक्ट्री को अनिवार्य करने का प्रावधान शामिल है।

(घ) : विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 20.10.2023 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से नामित उपभोक्ता(ओं) द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग के अनुपालन की निगरानी के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) को नामित किया है। नवीकरणीय ऊर्जा खपत लक्ष्यों में कमी के मामले में, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 26 की उप-धारा (3) के तहत प्रावधानों के अनुसार जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसके लिए संबंधित राज्य आयोग के सदस्य द्वारा न्यायिक निर्णय लिया जाना है।

****